

[2025:RJ-JD:37995]



**HIGH COURT of JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1704/2025

Chetanya Dadhich S/o Om Prakash Dadhich, Aged About 29 Years, Resident of Ward No. 04, In Front of Sub Tehsildar, Village Sanwar, Police Station Fatehsagar, District Udaipur Rajasthan

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Nanu S/o Nathu, Aged About 27 Years, R/o W. No. 10, Sanwar, District Udaipur,raj.

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1705/2025

Ram Lal Alias Madhu Lal Jat S/o Ganesh Lal, Aged About 36 Years, R/o Kaka Ji Ka Rawla, W. No. 04, Sanwad, Police Station Fatehnagar, District Udaipur (Lodged In Central Jail, Udaipur)

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Nanu S/o Nnathu Bheel, R/o Ward No. 10, Sanwad, Police Station Fatehnagar, District Udaipur

----Respondents

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1832/2025

Sonu S/o Suresh, Aged About 26 Years, R/o Uniya, Mohalla Ward No 02, Sanwad, Police Station Fatehnagar, District Udaipur, Rajasthan. (At Present Lodged In Central Jail Udaipur)

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Nanu S/o Nathu, R/o Ward No 10, Sanwad, Police

Station Fatehnagar, District Udaipur.

----Respondents

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1919/2025

Kailash Sargra S/o Roshnlal Sargra, Aged About 31 Years,
Resident of Bapana Mohala, Ward No. 10, Sanvada, Police
Station Fathnagar, District Udaipur. At Present Lodged In
District Jail Udaipur)

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Nanu S/o Nathu, Resident of Ward No. 10, Sanvada,
Police Station Fathnagar, District Udaipur.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Kalptaru Tripathi Mr. Zeeshan Ali Mr. Ram Singh Rawal Mr. Gaurav Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, P.P. with Mr. Ravindra Singh

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

26/08/2025

परिवादी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ, लेकिन उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।

02. अपीलार्थीगण अभियुक्तगण **चेतन्य दाधीच, राम लाल उर्फ मधु लाल जाट, सोनू व कैलाश सरगरा** की ओर से चारों तीनों दांडिक अपीलें धारा 14-क(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2024 पुलिस थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर, अपराध अंतर्गत धारा 147, 302/149, 365/120B, 342 व

323/149 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3(2)(v)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम प्रकरण उदयपुर के द्वारा धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता) में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 28.03.2025, 05.06.2025, 27.11.2024 व 15.04.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिनके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण अभियुक्तगण के जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किए।

03. मैंने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण अभियुक्तगण व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें मिथ्या रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है और कुछ गवाहों के कथन भी लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्ल्यू.09 पंकज विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित हो चुका है। अपीलार्थीगण अभियुक्तगण को प्रकरण में संलिप्त करने हेतु कोई ठोस एवं सुदृढ़ साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अपीलार्थीगण अभियुक्तगण काफी लम्बे समय से अभिरक्षा में है और अभी भी प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थीगण अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपीलार्थीगण अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी नानू के द्वारा पंजीबद्ध करवाई गई थी, जिसमें उसने घटना के बारे में पंकज द्वारा बताया जाना प्रकट किया है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.09 पंकज अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित हो चुका है। अभी भी प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है।

07. प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना अपीलार्थीगण अभियुक्तगण चेतन्य दाधीच, राम लाल उर्फ मधु लाल जाट, सोनू व कैलाश सरगरा को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम प्रकरण, उदयपुर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2024 पुलिस थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर के मामले में धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता) में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों में पारित आदेश दिनांक 28.03.2025, 05.06.2025, 27.11.2024 व 15.04.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण अभियुक्तगण **चेतन्य दाधीच, राम लाल उर्फ मधु लाल जाट, सोनू व कैलाश सरगरा** की ओर से प्रस्तुत अपीलें अंतर्गत धारा 14-क(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थीगण अभियुक्तगण **चेतन्य दाधीच पुत्र ओम प्रकाश दाधिच, राम लाल उर्फ मधु लाल जाट पुत्र गणेश लाल, सोनू पुत्र सुरेश व कैलाश सरगरा पुत्र रेशनलाल सरगरा** पुलिस थाना फतेहनगर, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2024, में

विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में पचास हजार रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें एवं साथ ही यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि अपीलार्थीगण अभियुक्तगण जमानत पर स्वतंत्र होने के बाद जमानत की सुविधा का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

250-252-253-254-Rajendra/-